रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2003/फाल्गुन 22, 1924
No. 123] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2003/PHALGUNA 22, 1924

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2003

सं. 17/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 215(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2003 कहा जाए।

(ii) वे 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे।

2. उक्त नियमावली के नियम 11 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) बीजक को क्रमानुसार संख्या दी जाएगी और उसमें माल की पंजीकरण संख्या, परेषिती का नाम, विवरण, वर्गीकरण, हटाये जाने की तारीख और समय, शुल्क की दर, मात्रा और मूल्य और उस पर देय शुल्क का उल्लेख होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 16 में, उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :— इस उप-नियम के अंतर्गत चुकाई गई राशि को सेनवेट क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि यह विनिर्माता द्वारा अदा किया गया शुल्क था जिसने माल को हटाया था।"

4. उक्त नियमावली के नियम 16 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"16 क. फुटकर कार्य आदि हेतु माल को हटाया जाना.—फैक्ट्री में आई किसी भी निविष्टि को विशेष प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनर्नवीकरण अथवा किसी अन्य प्रयोजन से ज्यों-का-त्यों अथवा आंशिक प्रसंस्करण के बाद हटाकर फुटकर कामगार के पास भेजा जा सकता है, बशर्ते संबंधित क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों।

[फा० सं० 201/9/2003-के०उ०शु० 6]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

टिप्पणी : भारत के राजपत्र में प्रमुख नियमावली अधिसूचना संख्या 4/2002-के०उ०शु० (गै०टै०) दिनांक 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. 143(अ) दिनांक 1 मार्च, 2002] के द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं०12/2003-के०उ०शु० (गै०टै०), दिनांक 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 152(अ) दिनांक 1 मार्च, 2003] के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE AND COPMANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2003

No. 17/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 2003.
   (ii) They shall come into force on the 1st day of April, 2003.
2. In rule 11 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
   "(2) The invoice shall be serially numbered and shall contain the registration number, name of the consignee, description, classification, time and date of removal, rate of duty, quantity and value of goods and the duty payable thereon.".
3. In rule 16 of the said rules, after sub-rule (2), the following *Explanation* shall be inserted, namely :—
   "*Explanation* :—The amount paid under this sub-rule shall be allowed as CENVAT credit as if it was a duty paid by the manufacturer who removes the goods.".
4. After rule 16 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—
   "16A. Removal of goods for job work, etc.—Any inputs received in a factory may be removed as such or after being partially processed to a job worker for further processing, testing, repair, re-conditioning or any other purpose subject to the fulfillment of conditions specified in this behalf by the Commissioner of Central Excise having jurisdiction."

[F. No. 201/9/2003-CX.6]

VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 4/2002-CE (NT), dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 143(E), dated the 1st March, 2002, and were last amended vide notification No. 12/2003-CE(NT), dated the 1st March, 2003 vide G.S.R. 152(E) dated the 1st March, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2003

सं. 18/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 216(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2003 कहा जाए।
   (ii) वे 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे।
2. उक्त नियमावली के नियम 3 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
   "(3) सेनवेट क्रेडिट का सदुपयोग इनके भुगतान में किया जाए —
   (क) किसी भी अंतिम उत्पाद पर किसी उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु; अथवा
   (ख) निविष्टियों पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि के भुगतान हेतु, यदि ऐसी निविष्टियों को ज्यों-का-त्यों अथवा आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किए जाने के बाद हटाया जाता है; अथवा
   (ग) पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि के भुगतान हेतु, यदि ऐसे पूंजीगत माल को ज्यों-का-त्यों हटाया जाता है; अथवा
   (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमवाली, 2002 के नियम 16 के उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रदत्त राशि के भुगतान हेतु"।
3. उक्त नियमावली में, उसमें संलग्न फार्म को फार्म-1 के रूप में नम्बर दिया जाएगा तथा फार्म-1 के बाद नम्बर दिए गए में निम्न फार्म जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"फार्म-2

[नियम 7 का उप-नियम (6) देखें]

पंजीकृत डीलरों के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 के नयम 7 के अंतर्गत तिमाही विवरणी

----------को समाप्त तिमाही की विवरणी

1. प्रथम चरण/द्वितीय चरण डीलर का नाम

2. उत्पाद पंजीकरण संख्या

3. पता

4. प्रथम चरण/द्वितीय चरण डीलर द्वारा जारी किए गए बीजकों का ब्यौरा :

क्रम सं.	तारीख सहित बीजक संख्या	दस्तावेज में मुख्य मद हेतु*			
		माल का वर्णन	के.उ.शु. टैरिफ शीर्षक	मात्रा	अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि (रुपए)

5. दस्तावेज आधारित ब्यौरे जिन पर क्रैडिट पास किया गया :

क्रम सं.	तारीख सहित प्रविष्टि संख्या का बीजक/ आगम-पत्र	विनिर्माता/आयातक अथवा प्रथम चरण डीलर (जैसा भी मामला हो) का नाम तथा पता	दस्तावेज में मुख्य मद हेतु		
			माल का वर्णन	के.उ.शु. टैरिफ शीर्ष	अंतर्ग्रस्त शुल्क राशि (रुपए)

*दस्तावेज (प्रलेख) द्वारा कवर किए गए अधिकतम शुल्क सहित, मद के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करें।

स्थान :

दिनांक :

पंजीकृत व्यक्ति अथवा प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम, बड़े अक्षरों में
पदनाम
पंजीकृत डीलर की मुहर

4. उक्त नियमावली के नियम 7 में,—

(i) उप-नियम (5) में, शब्द "फार्म" के लिए, शब्द तथा अंक "फार्म-1" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) उप-नियम (5) के बाद व्याख्या में निम्नलिखित उप नियम जोड़े जाएं। अर्थात् :—

"(6) प्रथम चरण अथवा द्वितीय चरण के डीलर, जैसा भी मामला हो को, एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, इन नियमों के तहत संलग्न फार्म-2 में निहित एक विवरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करें।"

5. उक्त नियमावली के नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"12. गलत रूप से सेनवेट क्रेडिट की वसूली अथवा भ्रांतिपूर्ण तरीके से की गई वापसी—जहां सेनवेट क्रेडिट गलत ढंग से लिया गया अथवा इस्तेमाल किया गया अथवा भ्रांतिपूर्ण तरीके से वापस किया गया, उसे विनिर्माता से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 11क तथा 11कख के उपबंधों को, ऐसी वसूलियों को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू किया जाएगा।"

[फा. सं. 201/9/2003-के.उ.शु.-6]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

टिप्पण : भारत के राजपत्र में प्रमुख नियमावली अधिसूचना संख्या 5/2002-के.उ.शु. (गै.टै.), दिनांक 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. सं. 144(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002] के द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 13/2003-के.उ.शु. (गै.टै.), दिनांक 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. सं.153(अ), दिनांक 1 मार्च, 2003] के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2003

No. 18/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), namely :—

1. (i) These rules may be called the CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2003.
   (ii) They shall come into force on the 1st day of April, 2003.
2. In rule 3 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
   "(3) The CENVAT Credit may be utilized for payment :—
   (a) any duty of excise on any final product; or
   (b) an amount equal to CENVAT Credit taken on inputs if such inputs are removed as such or after being partially processed; or
   (c) an amount equal to the CENVAT Credit taken on capital goods if such capital goods are removed as such; or
   (d) an amount under sub-rule (2) of rule 16 of Central Excise Rules, 2002.".
3. In the said rules, the form annexed thereto shall be numbered as 'Form-1' and after Form-1, as so numbered, the following form shall be inserted, namely :—

"Form-2

[See sub-rule (6) of rule 7]

Quarterly Return under Rule 7 of the CENVAT Credit Rules, 2002

for the Registered Dealers

Return for the quarter ending .....

1. Name of the first stage/second stage dealer
2. Excise registration number
3. Address
4. Particulars of invoices issued by first stage/second stge dealer :

S. No.	Invoice No. with date	For the main item in the document*			
		Description of goods	Central Excise Tariff Heading	Quantity	Amount of duty involved (Rs.)

5. Particulars of the documents based on which the credit is passed on :

S. No.	Invoice/Bill of Entry No. with date	Name and address of the manufacturer/importer or the first stage dealer (as the case may be)	For the main item in the document*		
			Description of goods	Central Excise Tariff Heading	Amount of duty involved (Rs.)

* Give details with respect to the item with maximum duty covered by the document.

Place :

Date :

Signature of the registered person or the authorised signatory

Name in capital letters

Designation

Seal of the registered dealer".

4. In rule 7 of the said rules,—
   (i) in sub-rule (5), for the word, 'form', the word and figure 'form-1' shall be substituted;
   (ii) after sub-rule (5) and the *Explanation*, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6) A first stage or a second stage dealer, as the case may be, shall submit within fifteen days from the close of each quarter of a year to the Superintendent of Central Excise, a return in form-2 annexed to these rules."

5. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"12. Recovery of CENVAT Credit wrongly taken or erroneously refunded.— Where the CENVAT Credit has been taken or utilised wrongly or has been erroneously refunded, the same along with interest shall be recovered from the manufacturer and the provisions of Sections 11A and 11AB of the Act shall apply *mutatis mutandis* for effecting such recoveries.".

[F.No. 201/9/2003-CX.6]

VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 5/2002-CE (NT), dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 144(E), dated the 1st March, 2002] and were last amended vide notification No. 13/2003-CE(NT), dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 153(E) dated the 1st March, 2003].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.